फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
सुगनकंवर पुत्री करनीदान पत्नी नरपतदान जाति चारण, निवासी गूंगा तहसील शिव, जिला बाडमेर हाल निवासी बिराई तहसील तिंवरी जिला जोधपुर		रविदान उर्फ रवेशदान पुत्र करनीदान जाति चारण निवासी गूंगा तहसील शिव, जिला बाडमेर वगैरह (29)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212) रा.का.अ. मुकदमा नम्बर 88/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.02.2025	प्रार्थी अधिवक्ता श्री **ईश्वरसिंह भाटी के** द्वारा यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो। अंतरिम स्थगन प्रार्थनापत्र पर प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीनी का पैतृक संयुक्त खातेदारी का खेत ग्राम गूंगा पटवार मण्डल गूंगा तहसील शिव के खाता संख्या 24 खसरा नम्बर 450 रकबा 2.3148 हैक्टयर भूमि, ग्राम गूंगा के खाता संख्या 17 के खसरा नम्बर 421 रकबा 5.1638 हैक्टयर भूमि, ग्राम गूंगा के खाता संख्या 25 के खसरा नम्बर 355 व 45 रकबा 3.4479 हैक्टयर व 5.4390 हैक्टयर भूमि व पटवार मण्डल राजडाल के ग्राम बरियाडा के खाता नम्बर 02 खसरा नम्बर 636/550 रकबा 4.8562 हैक्टयर भूमि आई हुई है। उक्त भूमि पैतृक भूमि है, जो कि प्रार्थीनी के पिता स्व. करनीदान के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। स्व. करनीदान की फौतगी पर खोले गये नामान्तकरणों में प्रार्थीनी का नाम विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के द्वारा जानबुझ कर दर्ज नहीं कर स्वयं के नाम अमलदरामद करवायी गयी। जबकि उक्त भूमि में स्व. करनीदान के हिस्से की भूमि में से प्रार्थीनी का 1/4 हिस्सा खातेदारी अधिकारी अधिकारों का बनता है। बावजूद विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के द्वारा स्व. करनीदान के हिस्से की भूमि में प्रार्थीनी का नाम अंकन नहीं करवाकर स्वयं के नाम दर्ज करवाई गयी। जबकि हिन्दु उतराधिकार विधि अनुसार खानदानी पैतृक सहदायिकी सम्पति में पुत्र पुत्रीयों, पौत्र व पौत्रीयों का [illegible] से अधिकार होता है। प्रार्थीनी एवं विप्रार्थी [illegible] प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का [illegible] प्रार्थीनी के पक्ष में है। वर्तमान में विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के द्वारा उक्त विवादीत भूमि को किसी अन्य को बैचान, लीज, रहन या खुर्द बुर्द करने की पूरी सम्भावना है, जबकि विप्रार्थी संख्या 01 से 03 को एसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के द्वारा उक्त विवादीत	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.02.20 12:14:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) शिव

भूमि अन्य किसी को बैचान, लीज, दान, रहन या किसी प्रकार से खुर्द बुर्द करने के अपने मकसद मे कामयाब हो गये तो प्रार्थीनी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर अदा नही की जा सकती है। अतः समस्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्वांत प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के विरूद्व वर्तमान मौका एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा उक्त भूमि में से किसी प्रकार का बैचान, हस्तांतरण, लीज, दान या किसी अन्य विधि से खुर्द बुर्द नही किये जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादर फरमाई जावें।

हमने प्रार्थीनी अधिवक्ता की अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त पैतृक खातेदारी भूमि में प्रार्थीनी का हक हिस्सा निहित है तथा उक्त विवादीत भूमि प्रार्थीनी की पैतृक सम्पति होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीनी के पक्ष में है। यदि विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के द्वारा उक्त भूमि का हस्तान्तरण बैचान, लीज, दान, रहन या किसी अन्य प्रकार से खुर्द बुर्द किया जाता है, तो इससे अपूरर्णीय क्षति प्रार्थीनी को होने से इन्कार नहीं किया जा सकता। साथ ही मौके पर तनाव व विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका रहेगी तथा प्रार्थीनी के खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को आरजी तौर पर स्वीकार किये जाने में कोई आपति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीनी का प्रार्थनापत्र आरजी/ आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर ग्राम गूंगा पटवार मण्डल गूंगा तहसील शिव के खाता संख्या 24 खसरा नम्बर 450 रकबा 2.3148 हैक्टयर भूमि, ग्राम गूंगा के खाता संख्या 17 के खसरा नम्बर 421 रकबा 5.1638 हैक्टयर भूमि, ग्राम गूंगा के खाता संख्या 25 के खसरा नम्बर 355 व 45 रकबा 3.4479 हैक्टयर व 5.4390 हैक्टयर भूमि व पटवार मण्डल राजडाल के ग्राम बरियाडा के खाता नम्बर 02 खसरा नम्बर 636/550 रकबा 4.8562 हैक्टयर भूमि में प्रार्थीनी के पक्ष में एवं विप्रार्थी संख्या 01 से 03 के विरूद्व प्रार्थीनी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करने तथा वर्तमान मौका एवं रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे जाने के आशय का अस्थाई अंतरिम स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी तक जारी किया जाता है। उक्त स्थगन से आ... चलायमान रास्ता अप्रभावित रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.02.20 12:14:49 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली ... विप्रार्थीगण ... तामील समन/ नोटिसों का इन्तजार होकर आईन्दा दिनांक 23.04.2025 को ... हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

24.4.25

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यो मे व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 11.6.25 को पेश हो।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म ... में जारी हो...
02.02.26	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित। पत्रावली वास्ते हुक्म हेतु दिनांक 09.02.26 को पेश हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	
09.02.26	पत्रावली पेश। प्रार्थी वकील उपस्थित। चूंकि उक्त आवेदन का मूल वाद निर्णित हो चुका है। अतः मूल वाद के निर्णित हो जाने से उक्त आवेदन का कोई औचित्य एवं महत्व नहीं होने से उक्त आवेदन इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है तथा साथ ही पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को समाप्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल [illegible] सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.02.20 12:14:49 IST
Reason: SelfAttested